

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 10321/2024

राजेंद्र सिंह पुत्र श्री पृथ्वी राज सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी 561, उचल, अकोली,
पी.ओ. बागड़ा, जिला जालोर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
- उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जालोर।
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा,
जयपुर जरिये अध्यक्ष ।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री ऋषभ तायल

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री बी. एल. भाटी, एएजी की ओर से श्री
संदीप सोनी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा**आदेश (मौखिक)****07/04/2025**

1. यहाँ याचिकाकर्ता की व्यथा दिनांक 07.06.2024 (अनुलग्नक.14) के एक आदेश/पत्राचार से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा, दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक.3) के एक विज्ञापन के अनुसरण में, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/विशेष शिक्षा) (लेवल-I, कक्षा I से V) के पद पर याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया गया था।

2. संक्षेप में कहें तो, पहले सुसंगत तथ्य।

2.1 प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/विशेष शिक्षा) (लेवल-I, कक्षा I से V) के पद के लिए दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक.3) का विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने पद के लिए आवेदन किया और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और उसका नाम अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान पाता है। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थीगण ने अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची युक्त एक आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक.7) जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 5339 पर उल्लिखित पाता है। तत्पश्चात, प्रत्यर्थीगण ने काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 295 पर प्रकट होता है।

2.2 तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 199, 200, 466, 467, 468, 471 और 420 के अंतर्गत एक लंबित दांडिक मामले के कारण उसकी नियुक्ति को रोक दिया गया था।

2.3. विचारण के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2023 द्वारा याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसे अपील में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालोर द्वारा पुष्ट किया गया था। याचिकाकर्ता ने तत्पश्चात प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया, किंतु आक्षेपित

आदेश/पत्राचार दिनांक 07.06.2024 (अनुलग्नक.14) द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया गया है। अतएव यह याचिका प्रस्तुत है।

3. प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने प्रत्युत्तर में लिया गया अभिमत, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह है कि कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 04.12.2019 और 26.10.2021 के परिपत्रों के माध्यम से जारी निर्देशों के तहत गठित सक्षम समिति द्वारा दिनांक 27.02.2024 को अपनी बैठक में मामले का परीक्षण किया गया था और याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया गया था।

3.1 अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया गया है कि समिति ने यह मत व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। शिक्षक का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षक छात्रों को नैतिक शिक्षा देकर राष्ट्र का निर्माण करेगा।

3.2 प्रत्युत्तर में आगे यह भी निवेदन किया गया है कि समझौते के आधार पर या संदेह का लाभ देकर की गई दोषमुक्ति को सम्मानजनक दोषमुक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखते हुए याचिकाकर्ता का चरित्र संदेहास्पद माना जाता है और स्थापित कानूनी सिद्धांत के अनुसार नियोक्ता, एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा निर्णय देने वाला होता है। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि इसमें गुणावगुण का अभाव है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के संबंधित अभिवचनों के अनुरूप दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है और मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है।

5. संक्षेप और सार रूप में, न्यायनिर्णयन के लिए जो निष्कर्ष निकलता है वह एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में आता है अर्थात् क्या आपराधिक कार्यवाहियों में दोषमुक्त होने के बावजूद, याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में अपने प्रदर्शन का लाभ पाने का हकदार नहीं रह जाता है?

6. मेरा यह मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 199, 200, 466, 467, 468, 471 और 420 के तहत अपराध न तो नैतिक अधमता में सम्मिलित हैं और न ही उन्हें प्रकृति में जघन्य/गंभीर कहा जा सकता है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.12.2019 और 26.10.2021 के परिपत्रों में से कोई भी, जिनका प्रत्यर्थीगण द्वारा

अपने लिखित उत्तर में संदर्भ दिया गया है और भरोसा जताया गया है, अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

6.1 चाहे जो भी हो, अन्यथा भी, याचिकाकर्ता को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। भले ही यह सीधा सरल प्रतीत हो, किंतु निर्दोषिता की उपधारणा के सिद्धांत पर, एक दोषमुक्ति याचिकाकर्ता की कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में प्रास्थिति को बहाल करती है। प्रत्यर्थागण का यह रुख कि दोषमुक्ति "सम्मानजनक" नहीं थी, केवल अनुमानित है। दोषमुक्ति तब तक वैध रहती है जब तक कि इसे अपील में अपास्त न कर दिया जाए। राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को केवल एक एफ.आई.आर./विचारण के कारण नियुक्ति से वंचित करना, जिसमें उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, प्रत्यर्थागण द्वारा उसे दंडित करने के समान है।

6.2. विचारण के पश्चात दोषमुक्त किए गए किसी व्यक्ति को केवल अतीत में एक आपराधिक विचारण में अभियुक्त रहने के कारण कलंकित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एक ऐसे अभियुक्त को रोजगार के अवसर से वंचित करना जो दोषमुक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को समाज में पुनर्वासित करने के सिद्धांत के विरुद्ध है और अपराध की पुनरावृत्ति को संबोधित करने के सिद्धांतों के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसा होने के नाते, मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि प्रत्यर्थागण किन आधारों पर यह अभिवाक् कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता दोषमुक्ति के किसी भी लाभ का हकदार नहीं है।

7. इस संदर्भ में इसी पीठ द्वारा **अविनाश कुमार ढिल्लन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** के शीर्षक वाले मामले में दिए गए दिनांक 27.03.2025 के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। उसका सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिपादना निर्विवादित है कि एक व्यक्ति जो शिक्षा विभाग में सम्मिलित होने की इच्छा रखता है, उसका चरित्र और सत्यनिष्ठा निष्कलंक होनी चाहिए और यदि कारित अपराध में नैतिक अधमता शामिल है, तो नियोक्ता अभ्यर्थिता को खारिज करने का हकदार है, उस कार्य की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए जिसके लिए अनुशासनिक बल अभिप्रेत है।

13. साथ ही, इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि केवल एक एफआईआर दर्ज होने से किसी नागरिक की प्रास्थिति कम नहीं होती है या उसके चरित्र

पर लांछन नहीं लगता है। प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। वर्तमान मामले में, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को सभी लंबित आपराधिक मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह दोषमुक्ति यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता को किसी भी आपराधिक आचरण का दोषी नहीं पाया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता पर लगाई गई आरोपित भूमिका उन कर्तव्यों की प्रकृति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या असर नहीं डालती है जो उसे निभानी हैं। ऐसी किसी नैतिक अधमता या कदाचार का भी कोई संकेत नहीं है जो प्रश्रगत भूमिका के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता को जर्जरित करता हो। इस प्रकार, दोषमुक्ति याचिकाकर्ता की निर्दोषिता को दर्शाती है और उनकी सत्यनिष्ठा या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाने का कोई वैध कारण नहीं है।

16. आवेश के क्षण में की गई उन गलतियों के प्रति युवा सुधारात्मक दृष्टिकोण के पात्र हैं, जो जानबूझकर किए गए हो सकते हैं या नहीं भी। सामाजिक और इसी प्रकार कानूनी परिप्रेक्ष्य भी, बेशक अपचार की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, ऐसा होना चाहिए कि युवावस्था में किये गए अववेकपूर्ण कृत्य किसी व्यक्ति के भविष्य को स्थायी रूप से कलंकित न करें। उन युवा व्यक्तियों पर विचार करते समय एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिन्होंने छोटे-मोटे उल्लंघन किए हों। युवा लोग, विशेष रूप से अपने किशोरावस्था के अंतिम और बीस वर्ष की आयु के प्रारंभिक वर्षों में, अभी भी भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में होते हैं। इस चरण में, वे अक्सर आवेग में कार्य करते हैं, कभी-कभी ऐसे निर्णय लेते हैं जो सोच-समझकर नहीं किए गए होते हैं। एक कठोर दंडात्मक दृष्टिकोण जो अपेक्षाकृत छोटी गलतियों के लिए युवा व्यक्तियों को स्थायी रूप से अपराधी के रूप में चिह्नित कर देता है, न्याय/निष्पक्षता, अपराध की पुनरावृत्ति और सुधार तथा समाज में उनके पुनःएकीकरण के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

17. इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी अपराध एक ही गंभीरता के नहीं होते हैं, और छोटे-मोटे अविवेकपूर्ण कृत्यों को गंभीर अपराधों के समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को खारिज किया जाना पूरी तरह से इस तथ्य पर आधारित प्रतीत होता है कि, याचिकाकर्ता को आपराधिक मामलों में दोषमुक्त दिए जाने के बावजूद, उन आपराधिक मामलों की प्रकृति को गंभीर और संगीन चरित्र का माना गया है।

18. इसी तरह का संविवाद **सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य** शीर्षक वाले एक मामले में अंतर्विष्ट था। आनुषंगिक रूप से, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के

न्यायाधीश के रूप में मेरे द्वारा उसमें दिए गए एक निर्णय के माध्यम से, जो बदले में दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों की खंडपीठ के निर्णयों पर आधारित है। त्वरित संदर्भ के लिए, उसका प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“12. प्रत्येक दोषमुक्ति सम्मानजनक दोषमुक्ति होती है। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही आपराधिक न्यायशास्त्र का ऐसा कोई नियम है जो एक सम्मानजनक दोषमुक्ति के प्रभावों और परिणामों को, अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहने पर हुई दोषमुक्ति के प्रभावों और परिणामों से भिन्न मानता हो।

13. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने शशि कुमार बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य, 2005 (1) एससीटी 576 शीर्षक वाले एक मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि सम्मानजनक दोषमुक्ति या पूर्णतः दोषमुक्त जैसे शब्द आपराधिक न्यायशास्त्र में अज्ञात हैं। महामहिम न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर (जैसा कि वे तब इस न्यायालय में थे) ने खंडपीठ की ओर से निर्णय देते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की थी:-

7. किसी भी दशा में, सम्मानजनक दोषमुक्ति या पूर्णतः दोषमुक्त जैसे शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या आपराधिक न्यायशास्त्र में अज्ञात हैं। ये शब्द मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जयराम, एआईआर 1960 मद्रास 325 के मामले में विचारणार्थ आए थे। मुख्य न्यायाधिपति राजमन्नार ने खंडपीठ का निर्णय सुनाते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की थी:-

दंड प्रक्रिया संहिता में "सम्मानजनक दोषमुक्ति" जैसी कोई परिकल्पना नहीं है। अभियुक्त के दोष को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और यदि वह युक्तियुक्त संदेह से परे दोष साबित करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है।

सिविल सेवा नियमावली के अनुच्छेद 193 का खंड (ख), जो यह कहता है कि जब कोई सरकारी सेवक जो निलंबन के अधीन था, सम्मानजनक दोषमुक्त हो जाता है, तो उसे वह पूरा वेतन दिया जा सकता है जिसके लिए वह हकदार होता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता, केवल विभागीय जांच के मामले में लागू होता है।

जहाँ सेवक को इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि उसके खिलाफ एक आपराधिक अभियोजन चल रहा था और वह उसमें दोषमुक्त हो गया तथा उसे बहाल कर दिया गया, वह सामान्य कानून के तहत, अपने निलंबन की अवधि के दौरान पूरे वेतन का हकदार है। ऐसे मामले पर अनुच्छेद 193(ख) लागू नहीं होता है।”

8. मद्रास उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा जगमोहन लाल बनाम पंजाब राज्य, सचिव के माध्यम से पंजाब सरकार, सिंचाई और अन्य, एआईआर 1967 (54) पंजाब और हरियाणा 422 (पंजाब) के मामले में विचार किया गया था और उसका अनुसरण किया गया था। उस मामले में, दोषमुक्ति पर, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसकी निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में नहीं माना गया था। इसलिए, उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका दायर कर यह दावा किया था कि वह अपने निलंबन की अवधि के लिए पूरे वेतन और भत्तों का हकदार था। पंजाब सिविल सेवा नियमावली, खंड-I, भाग-1 के नियम 7.3, 7.5 और 7.6 के प्रभाव पर विचार करते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी:-

(2) xxx xxx xxx xxx

सरकार द्वारा इस नियम की जो व्याख्या की गई है, वह त्रुटिपूर्ण है। याचिकाकर्ता पर जो दोष लगा था, वह यह था कि उसके विरुद्ध एक आपराधिक आरोप था जिसके तहत वह विचारण का सामना कर रहा था। जिस क्षण वह उस आरोप से बरी हो जाता है, वह उस दोष से भी मुक्त हो जाता है। आपराधिक कानून में, न्यायालयों से यह निर्णय करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर दोष सिद्ध करने में सफल रहा है। जिस क्षण न्यायालय अभियुक्त के दोष के संबंध में संतुष्ट नहीं होता है, उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है। चाहे किसी व्यक्ति को संदेह का लाभ दिए जाने के बाद दोषमुक्त किया गया हो या किन्हीं कारणों से, परिणाम यही होता है कि उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता सम्मानजनक दोषमुक्ति की परिकल्पना नहीं करती है। संहिता में ज्ञात एकमात्र शब्द उन्मोचित या दोषमुक्त हैं। कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के उन्मोचित होने या दोषमुक्त होने का प्रभाव एक समान है। चूंकि, आपराधिक न्याय प्रदान करने की स्वीकृत धारणाओं के अनुसार, न्यायालय को युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष के संबंध में संतुष्ट होना पड़ता है, इसलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि न्यायालय के मस्तिष्क में संदेह होने के कारण, अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है।

अतएव, मैं अपने विचार में पूरी तरह से स्पष्ट हूँ कि नियम 7.5 में अंतर्निहित आशय इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती कि " जिस क्षण वह आपराधिक आरोप, जिसके कारण किसी अधिकारी को निलंबित किया गया था, न्यायालय में विफल हो जाता है, उसे दोष से मुक्त मान लिया जाना चाहिए। कोई भी अन्य व्याख्या इस नियम के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगी। दोषमुक्ति के किसी निर्णय में 'सम्मानजनक

दोषमुक्ति' या 'पूर्ण निर्दोषता' के निष्कर्ष की अपेक्षा करना व्यर्थ है। कारण स्पष्ट है आपराधिक न्यायालयों का संबंध अभियुक्त की निर्दोषता का पता लगाने से नहीं होता है। उनका संबंध केवल यह देखने से होता है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।"

8. कुछ हद तक समान परिस्थितियों में **राजेंद्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य** शीर्षक वाले मामले में दिए गए दिनांक 13.05.2024 के एक अन्य निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है। उसके सुसंगत अंश पैरा 12 से 20 हैं, जिन्हें संक्षिप्तता के लिए यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

9. उसी विचार को बाद में **शंकर लाल बनाम राज्य राजस्थान और अन्य⁵** में भी अपनाया गया था।

10. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, पैरा 5 में विरचित किए गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आपराधिक कार्रवाई में दोषमुक्ति के पश्चात, जिसके कारण याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को खारिज कर दिया गया था, वह अपने कार्य प्रदर्शन के लाभ की मांग करने का हकदार है।

11. पद की उपलब्धता के संबंध में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, जो पहले इस मामले से अवगत थी, दिनांक 02.07.2024 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को उस श्रेणी में एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया था जिसमें याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था।

12. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 07.06.2024 (अनुलग्नक 14) के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा इस वर्तमान आदेश के वेब-प्रिंट के साथ प्रत्यर्थीगण से संपर्क करने की अवधि के 30 दिनों के भीतर उसे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सामान्य/विशेष शिक्षा) (लेवल-I, कक्षा I से V) के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करें।

13. जितनी अवधि के लिए वह सेवा से बाहर रहा, वह 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होगा, तथापि, याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभ उसी तारीख से प्रदान किए जाएंगे जिस तारीख से उसके

समकक्षों को उस चयन प्रक्रिया के अनुसरण में नियुक्त किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।।

(अरुण मोंगा),जे

152-एसपी/एसकेएम/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त : हाँ / नहीं

संदर्भ:

1 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर - एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1011/2024

[2025: आरजे-जेडी: 13304]

2 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सीडब्ल्यूपी संख्या 9808/2003, 13.08.2019

को निर्णीत

3 शशि कुमार बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, 2005(1) एससीटी 576 और

भारत संघ बनाम जयराम, एआईआर 1860 मद्रास 325।

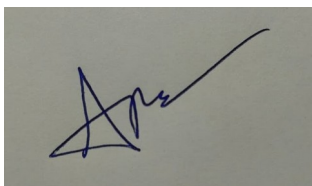
4 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर - एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या

15957/2021 [2024 : आरजे-जेडी : 21389]

5 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर - (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 756/2022)

18.11.2024 को निर्णीत [2024 : आरजे-जेडी : 46615]

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान